कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का निष्पक्षता से आकलन करता है एवं वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर उचित इनपुट्स को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस समीक्षा को एक उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम 2016, चौदहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं वर्ष 2015–16 का बजट अनुमान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वृहद् तुलनात्मक समीक्षा का प्रयास किया गया है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के भुगतान एवं उधार पर व्यय की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 34,124 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार के पास ₹ 14,340 करोड़ का राजस्व आधिक्य था। इसका प्रमुख कारण वर्ष 2014–15 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में केवल 17 *प्रतिशत* की वृद्धि थी, जबकि राजस्व व्यय में 24 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

- राजकोषीय घाटे में (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से 2.07 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई एवं वर्ष 2015–16 के दौरान (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित) अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.96 *प्रतिशत* के लक्ष्य से 2.11 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2015–16 के अन्त में कुल बकाया ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.83 *प्रतिशत* था जो बजट अनुमान एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य (27.50 *प्रतिशत*) से अधिक (4.33 *प्रतिशत*) था। यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (31 *प्रतिशत*) के सापेक्ष अधिक (0.83 *प्रतिशत*) था।

(प्रस्तर 1.1.2)

संसाधनों का संग्रहण

- **राजस्व प्राप्तियों** (₹ 2,27,076 करोड़) में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 33,654 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह ₹ 2,49,880 करोड़ के बजट अनुमान[1] से ₹ 22,804 करोड़ कम थी।

(प्रस्तर 1.1.1)

- **राजस्व व्यय** में वर्ष 2014–15 के सापेक्ष ₹ 41,709 करोड़ (24 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह बजट अनुमान से ₹ 3,020 करोड़ कम था।

(प्रस्तर 1.1.1)

व्यय में दक्षता

- पूंजीगत व्यय वर्ष 2014–15 के ₹ 53,297 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 64,423 करोड़ हो गई। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2015–16 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 5.32 *प्रतिशत* तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 7.80 *प्रतिशत* की कमी हुई।

(प्रस्तर 1.7.2)

- कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी के अंश में वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 11,048 करोड़ की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 1.7.2)

निवेश एवं प्रतिफल

- 31 मार्च 2015 तक सरकार ने ₹ 58,606 करोड़ का निवेश किया था जिस पर वर्ष 2014–15 में प्रतिफल ₹ 8.08 करोड़ (0.01 *प्रतिशत*) था। 31 मार्च 2016 तक सरकार ने ₹ 84,357 करोड़ का निवेश किया जिसके सापेक्ष प्रतिफल ₹ 42.66 करोड़ (0.05 *प्रतिशत*) था।

(प्रस्तर 1.8.3)

राजकोषीय देयतायें

- राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2011–12 के ₹ 2,43,229 करोड़ से 51 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 3,67,252 करोड़ हो गयी। वर्ष 2014–15 के 9.28 *प्रतिशत* की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में वृद्धि दर 19.29 *प्रतिशत* रही।

(प्रस्तर 1.9.2)

वित्तीय स्थिति पर उदय योजना का प्रभाव

- वर्ष 2015–16 में राजस्व आधिक्य ₹ 14,340 करोड़ रहा जो ₹ 12,166 करोड़ न्यून दर्शित है क्योंकि इतनी ही धनराशि सहायता अनुदान के रूप में यू.पी.पी.सी.एल. को अन्तरित की गयी। दूसरी ओर, राजकोषीय घाटे में ₹ 24,332 करोड़ की अतिशयता हुई। 'उदय' योजना की शर्तों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोषीय देयताओं में भी ₹ 24,332 करोड़ की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 1.4.2)

---

[1] मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति, 2015 को प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2: वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण

अनुचित बजट के कारण अत्यधिक बचत

- ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचत, ₹ 47,067.01 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 2,673.34 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

(प्रस्तर 2.2)

प्रावधानों से अधिक हुये व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

- वर्ष 2005–15 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 22,577.49 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था।

(प्रस्तर 2.3.2)

अनवरत बचत

- विगत पांच वर्षों के दौरान लेखे के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) हुई।

- पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत, बचत वर्ष 2014–15 के ₹ 2,672.21 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,809.25 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.3.5)

अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधानों एवं निधियों का अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग

- धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का अतिरेक भी वित्तीय प्रबन्धन की एक गम्भीर समस्या है।

(प्रस्तर 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10 एवं 2.3.14)

अनुपयोगी धनराशि

- सरकार ने वर्ष 2015–16 को 'किसान वर्ष' घोषित किया था, फिर भी राज्य सरकार द्वारा कृषि शीर्ष के अन्तर्गत अनेक परियोजनाओं को आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.4)

अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग

लंबित उपभोग प्रमाण–पत्र एवं लम्बित संक्षिप्त आकस्मिक बिल

- 31 मार्च 2016 को, अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 1,46,301.58 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे एवं ₹ 301.13 करोड़ के 5113 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

(प्रस्तर 3.1 एवं 3.2)

चोरी, हानि, दुर्विनियोग एवं गबन के प्रकरण

- वर्ष 2015–16 के अन्त तक चोरी, हानि, दुर्विनियोग एवं गबन के कुल 135 प्रकरण थे, जिनमें कुल ₹ 882.57 लाख की धनराशि सन्निहित थी।

(प्रस्तर 3.4)

श्रम उपकर के अन्तिम उपयोग

- श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं। अतः आय एवं व्यय के आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित लेखे के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान व्यय की प्रामाणिकता एवं इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। मार्च 2016 को कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.48 करोड़ सावधि जमा एवं बचत बैंक खाते में रखी गयी है।

(प्रस्तर 3.7)